रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 267] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 1972/अग्रहायण 10, 1894

No. 267] NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 1, 1972/AGRAHAYANA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st December 1972

SUBJECT.—*Import of (i) Fruits, all sorts, excluding coconuts and cashewnuts, fresh and dried, salted or preserved n.o.s. and excluding Dates (S. No. 21(a)/IV), (ii) Asafoetida (S. No. 31(b)/V), (iii) Cumin Seeds (S. No. 37/IV), (iv) Medicinal Herbs (S. No. 87-109/IV) from Afghanistan from 1st March, 1972 to 28th February, 1973—Validity of C.C.Ps.*

No. 176-ITC(PN)/72.—Attention of the trade is invited to para 22 of Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated 30th June, 1972 in terms of which the C.C.Ps. issued will be valid for three months from the date of issue.

2. In partial modification of para 22 of the aforesaid Public Notice, it has been decided that the C.C Ps. will now be valid upto 28th February, 1973 only, as the present trade arrangement is expiring on that date.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1972

विषय.—1-3-1972 से 28-2-1973 तक अफगानिस्तान से नारियल तथा काजू को छोड़कर (1) सभी प्रकार के फल, ताजे तथा सूखे, नमकीन तथा परिरक्षित जो अन्यथा रूप से विशिष्टिकृत नहीं है तथा खजरों को छोड़कर (क्रम संख्या. 21(ए)/4), (2) हींग (क्रम संख्या 31(बी)/5, (3) जीरा बीज (क्रम संख्या: 37/4,(4) औषधीय बूटियों (क्रम संख्या: 87-109/1) का आयात--सीमाशुल्क निकासी परमिटों की वैधता ।

संख्या 176-आई० टी० सी० (पीएन)/72.—व्यापारियो का ध्यान सार्वजनिक सूचना सख्या 93-आईटीसी(पीएन)/72, दिनाक 30 जून, 1972 की कंडिका 22 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार सीमाशुल्क निकासी परमिट उनको जारी करने की तारीख से तीन माह तक वैध होंगे ।

2. उक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 22 का आंशिक आशोधन कर यह निश्चय किया गया है कि अब सीमाशुल्क निकासी परमिट केवल 28 फरवरी, 1973 तक ही वैध होंगे क्योंकि वर्तमान व्यापार व्यवस्था उसी तारीख को समाप्त हो रही है ।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972